

दिनांक	आज्ञा पत्र
13 ¹¹ / ₃	<p>पत्रावली पत्र/अधि. उभयपक्ष हाजिरे / अधि. उपस्थितता व अवकाश हेतु अर्जा खाद्य / पूर्ण में कर्षि अवकाश रिदे जा चुके हैं. अवकाश प्रार्थना-पत्र कर किया जारा है। अर्जा अधि. उभयपक्ष सुनी गई। अर्जा सूचक आवेदनही रखा. अधिवक्ता उपस्थितता उत्तर आवेदनही रखा का विरोध किया। अर्जा पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपस्थितता प्रमाणों का अवलोकन किया गया। प्रार्थित हिरो का निर्धारण मूल वाद में जास्को व भादुरा के अर्जा पर किया गया है। कुल वाद के निर्धारण तक अपर्षि ल. उत्तर विवादात्त अर्जा के रिपोर्ट के स्थिति में परिवर्तन वर्तमान अर्जा के लिए प्रमाणित हो सके हैं. अर्जा पर अवलोकन के वक्त से रोकने के लिए अर्जा प्रार्थना-पत्र प्रार्थित को स्वीकार किया जा रहा है अर्जा अधि. ल. 1 के अनुसार अर्जा निर्धारण से पावट किया जा रहा है व विवादात्त अर्जा ख. न. 1817, 4133/1814, 4134/1814, 4148/1836, 4149/1836 कुल कुल 05 कुल रकबा 4.77 हेक्टर तथा ख. न. 3854/1908 रकबा 1.42 हेक्टर को जासको व भादुरा के वास्तविक मालिकों को स्वीकार के अर्जा पर रिपोर्ट की प्रवृत्ति बनाये रखे तथा अपर्षि 0.2 मी के अर्जा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली में अर्जा अर्जा के लम्बा ले कम हो. हासिल हस्ताक्षर निर्माण का लम्बा ले हासिल से जाया गया अर्जा: उभय पक्ष अर्जा 163/2022 की निर्णय तक स्वीकार किया जा रहा है।</p>

उपखण्ड अधिकारी, सीकर